उत्तर प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त

एकता जिन्दाबाद

अन्जुमन हिमायत चपरासियान

रजिस्ट्रेशन नम्बर – 399/7/137/1938

शाखा– जनपद न्यायालय भदोही – ज्ञानपुर

अध्यक्ष
गोकरण प्रसाद पाण्डेय
मो0– 9532395075

संरक्षक
अब्दुल नवाब चिकवा
मो0–

महामंत्री
कमलेश सिंह जैसवार
मो0– 9198580460

उपाध्यक्ष
ओम बहादुर श्रीवास्तव
मो0– 9936127981

कोषाध्यक्ष
कृपाशंकर पाण्डेय
मो0– 8858865679

संगठन मंत्री
अमृतलाल पाल
मो0– 9452071412

आय-व्यय मंत्री
जयशंकर प्रसाद
मो0– 8400103668

सूचना मंत्री
श्री राजेश जयसवाल
मो0– 9919145267

मंत्री
श्री छक्कूलाल यादव
मो0– 9451583463

पत्रांक.......................... A-13

दिनांक 05-02-2021

सेवा में,

माननीय जिला न्यायाधीश महोदय
ज्ञानपुर–भदोही।

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि अन्जूमन हिमायत चपरासीयान संघ शाखा भदोही के समक्ष दिनांक 03.02.2021 को श्री अनवर अली व अब्दुल कलाम ने एक–एक प्रार्थना पत्र व नोटरी शपथ पत्र के साथ दिया है। उस प्रार्थना पत्र में यह दर्शाया गया है कि दिनांक 29.01.2021ई0 को समय 10:30 बजे श्री रमेश कुमार (दफ़तरी) से श्रीमान सिविल जज (सी0डि0) भदोही साहब अपने विश्राम कक्ष में बुलवाये, विश्राम कक्ष में बैठे दरोगा श्री सुनील कुमार यादव (एस.आई.) से जज साहब बोले कि इन लोगों ने हमारे स्टेनो (नेहा रानी सिंह) के कुर्सी में पिन धसा दिया था जो कि बैठने पर चुभ गया। श्रीमान सिविल जज (सी0डि0) साहब ने दरोगा जी को बोले कि <u>मारो इन दोनो को जब तक कबूल न कर ले कि पिन को कुर्सी में हमने ही धसाया है</u> व कबूल नामे पर इन लोगों का दस्तखत बनवाले। तब दरोगा जी हम दोनों को झापड़ से मार–मार कर सादे कागज पर दस्तख्त बनवा लिये व श्रीमान सिविल जज (सी0डि0) साहब बोले तुम दोनों हमारे स्टेनों (नेहा रानी) के पैर पकड़ कर माफी मागों, तब हम लोगों से दरोगा जी के सामने नेहा रानी से जबरदस्ती पैर पकड़वाये। इस घटना की सूचना उसी दिन श्रीमान जिला जज साहब को मौखिक दिया कोई कार्यवाही नहीं हुआ। माननीय महोदय जी पुलिस या पुलिस का कोई भी अधिकारी न्यायालय परिसार या न्यायालय कक्ष में किसी भी कर्मचारीगण को मारते पीटते है तो न्याय परिवार के मुखिया को ठेस पहुंचता है, न्याय कि गरिमा को समाप्त समझा जाता है।

अतः माननीय महोदय जी से प्रार्थना है कि एक सप्ताह के अन्दर जॉच कराकर दोषी लोगों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करने की कृपा करें। यदि इस प्रार्थना पत्र की जांच नहीं हुई तो संघ मजबूर होकर माननीय मुख्य न्यायमूर्ति महोदय, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद व प्रशासनिक न्यायमूर्ति भदोही, माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ व कर्मचारी संघ प्रदेश अक्ष्यक्ष व प्रदेश महामंत्री जी को इसकी सूचना भेजी जायेगी।

ओमबहादुर श्रीवास्तव
उपाध्यक्ष

कृपाशंकर
कोषाध्यक्ष

कमलेश सिंह जयसवार
मंत्री

सदस्यगण :–
1.श्री अब्दुल नवाब चिकवा–संरक्षक (अब्दुल नवाब चिकवा)
2.श्री जयशंकर प्रसाद–आयव्यय निरीक्षक
3.श्री संजय राय–सूचनामंत्री — संजय राय
4.श्री छक्कू लाल–प्रचारमंत्री छक्कू लाल
5.श्री राजेश कुमार जायसवाल–प्रचारमंत्री राजेश कुमार जायसवाल

संलग्नकः यथोपरि आठ वर्क छाया प्रति

5/2/21